

# पालिसी

## वित्तीय सहायता

### विषय-सूची

1	उद्देश्य .....	2
2	व्याप्ति .....	3
3	परिभाषाएँ .....	3
4	पालिसी.....	5
4.1	वित्तीय सहायता के लिए पात्रता मानदंड.....	5
4.2	वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र देना .....	6
4.3	वित्तीय सहायता की पात्रता का निर्धारण करना .....	9
4.4	वित्तीय सहायता अस्वीकृत होने पर अपील करना .....	100
4.5	आनुमानिक पात्रता.....	100
4.6	मरीजों के बिल में डाली गयी रकम .....	111
4.7	वसूली की प्रथाएँ और नीतियां.....	111
4.8	मरीजों और समुदाय को वित्तीय सहायता कार्यक्रम की जानकारी देना .....	122
4.9	नियामक अपेक्षाएं .....	122
5	प्रवर्तन और अपवाद .....	122
6	संदर्भ.....	122
7	परिशिष्ट.....	133
7.1	परिशिष्ट A: .....	133
7.2	परिशिष्ट B: .....	133

यह पालिसी पीडमॉन्ट हेल्थकेयर के सामान्य दिशानिर्देश के रूप में दी जा रही है। इसमें सभी बातें शामिल नहीं हैं और यह प्रत्येक मरीज की परिस्थितियों पर आधारित क्लिनिकल निर्णय और प्रशिक्षण के प्रयोग का स्थान नहीं ले सकती।

## 1 उद्देश्य

पीडमॉन्ट हेल्थकेयर कारपोरेशन (पी.एच.सी.) सभी मरीजों का इलाज समानता के आधार पर, गरिमा, सम्मान और अनुकम्पा के साथ करने का प्रयास करता है। इस उद्देश्य से और यह समझते हुए कि कुछ मरीज आर्थिक तंगी के कारण अस्पताल के अपने बिलों का भुगतान नहीं कर सकते, पी.एच.सी. नीचे दिए गए पालिसी के विवरणों के अनुसार, उन पात्र मरीजों को, जो अपने इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते, वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी मदद करेगा। पी.एच.सी. द्वारा यह पालिसी निष्पक्षता और समानता से लागू हो, इसके लिए मरीजों और उनके परिवार वालों का यह कर्तव्य है कि वे समय पर सही सूचना उपलब्ध कराएं। इस कार्यक्रम को आगे पी.एच.सी. वित्तीय सहायता कार्यक्रम (वि.स.का.) कहा गया है।

अफोर्डेबल केयर एक्ट (ए.सी.ए.) के अनुसार, पी.एच.सी. की वित्तीय सहायता पालिसी के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र किसी भी मरीज से, आपातकालीन या ज़रूरी विशेष इलाज के लिए बीमित मरीजों से सामान्यतया प्रभारित बिल से अधिक प्रभार नहीं लिया जाएगा। पीडमॉन्ट हेल्थकेयर के अंतर्गत और इस पालिसी के तहत जो मरीज वित्तीय सहायता के पात्र हैं उनसे इस अवधि के दौरान, जिसके लिए उन्हें वित्तीय सहायता मंजूर की गयी है, उनके विशेष इलाज पर जो खर्चा हुआ है वह नहीं लिया जाएगा।

जैसा कि नीचे अधिक विस्तार से वर्णित है, इस वित्तीय सहायता पालिसी में:

- वित्तीय सहायता के लिए पात्रता मानदंड शामिल है।
- मरीज द्वारा वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के तरीकों को बताया गया है।
- वित्तीय सहायता का निर्धारण करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया, अपील की प्रक्रिया और आनुमानिक पात्रता का वर्णन है।
- यह वर्णित किया गया है कि पी.एच.सी. का प्रत्येक कार्यालय अपने सेवा क्षेत्र के समुदायों में इस पालिसी का किस प्रकार से व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा।
- परिशिष्ट अ और ब में पी.एच.सी. के अंतर्गत प्रैक्टिस करने वाले उन प्रदाताओं की सूची दी गयी है जो वित्तीय सहायता की हमारी पालिसी को मानते हैं और जो नहीं मानते हैं।
- जैसा कि कानून द्वारा अपेक्षित है, पी.एच.सी. अस्पताल और सेवायोजित चिकित्सक सभी मरीजों, उनकी भुगतान करने की क्षमता पर ध्यान दिए बिना, की आपातकालीन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए वचनबद्ध हैं।

- पी.एच.सी. आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं, मरीजों को वित्तीय सहायता देने, और चैरिटी केयर से संबंधित सभी संघीय और राज्य-कानूनों तथा विनियमों, जिनमें सामाजिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 1867 और आंतरिक राजस्व कोड की धारा 501 (आर) भी शामिल है लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, का अनुपालन करेगा।

## 2 व्याप्ति

यह पालिसी पीडमॉन्ट हेल्थकेयर के सभी अस्पतालों और सेवायोजित चिकित्सकों पर लागू है।

## 3 परिभाषाएँ

**सामान्यतया बिल में डाली जाने वाली रकम (ए.जी.बी.)** – पी.एच.सी. द्वारा प्रदान की जाने वाली बिल योग्य सेवाओं के लिए मेडिकेयर और कमर्शियल/प्रबंधित केयर कंपनियों से प्राप्त औसत प्रतिपूर्ति प्रतिशतता।

**पात्र सेवाएं** – इस पालिसी के अंतर्गत पात्र सेवाओं में ये सेवाएँ शामिल हैं (1) आपातकालीन चिकित्सा कक्ष में प्रदान की जाने वाली आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, (2) जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली स्थितियों में गैर-आपातकालीन चिकित्सा कक्ष में प्रदान की जाने वाली गैर-वैकल्पिक सेवाएं, और (3) चिकित्सा की दृष्टि से आवश्यक अन्य सेवाएं (नीचे दी गयी परिभाषाएं देखिए)।

**आपातकालीन देखभाल** – मरीज के स्वास्थ्य को गंभीर खतरे से, शरीर की कार्यप्रणाली को गंभीर क्षति से, और/या शरीर के किसी अंग या भाग को दुष्क्रिया से बचाने के लिए ज़रूरी तात्कालिक देखभाल।

**असाधारण वसूली कार्रवाई** – आई.आर.एस. और ट्रेज़री विभाग द्वारा परिभाषित उन कार्रवाइयों की सूची जो हेल्थ केयर संगठन इलाज के खर्च को प्राप्त करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं बशर्ते उन्होंने यह निर्धारित करने के लिए उचित प्रयास कर लिए हों कि वह व्यक्ति वित्तीय सहायता का पात्र है या नहीं। ये कार्रवाइयाँ इस पालिसी की धारा 4.7 में आगे परिभाषित की गयी हैं और इनमें क्रेडिट ब्यूरो/रिपोर्टिंग एजेंसियों को प्रतिकूल सूचना देना, साथ ही वेतन रोकने जैसी न्यायिक आदेश प्राप्त करने जैसी कार्रवाइयाँ शामिल हैं।

**वित्तीय सहायता** – उन गैर-बीमित व्यक्तियों को प्रदान की गयी हेल्थकेयर सेवाएं जो पी.एच.सी. से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के मानदंड को पूरा करते हों और जो पी.एच.सी. और उसके सेवानियोजित चिकित्सकों द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सा की दृष्टि से आवश्यक सेवाओं का खर्च वहन करने में अक्षम हों।

**सकल प्रभार** – मरीज के इलाज संबंधी सेवाओं के प्रावधान के लिए संविदागत समायोजन/या छूट लागू करने से पहले संगठन द्वारा निर्धारित पूर्ण दरों पर कुल प्रभार।

**गारंटर** – मरीज के बिल के भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति: वह स्वयं मरीज या कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है।

**पारिवारिक इकाई** – पारिवारिक इकाई में वे सारे लोग आते हैं जो किसी निवास स्थान पर आमतौर पर साथ रहते हैं, और जिसका इस्तेमाल मरीज के संघीय गरीबी स्तर (एफ.पी.एल.) का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। पारिवारिक इकाई के सभी सदस्यों को उस घर को अपना स्थाई निवास मानना चाहिए।

**चिकित्सा की दृष्टि से आवश्यक सेवाएं** – किसी मरीज को दी जाने वाली वो सेवाएं जो जीवन को खतरे में डालने वाली, कष्ट या दर्द उत्पन्न करने वाली, शारीरिक विकलांगता या खराबी उत्पन्न करने वाली, विकलांगता उत्पन्न करने या बढ़ाने वाली या बीमारी अथवा अशक्तता उत्पन्न करने वाली स्थितियों को पहचानने, कम करने, ठीक करने, इलाज करने या उनके आक्रमण या बिगाड़ को रोकने के लिए दी जाती हैं, और सेवा के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति के लिए उस इलाज से अधिक पारम्परिक या कम खर्चीला अन्य कोई इलाज उपलब्ध या अनुकूल नहीं होता।

वैकल्पिक, निवारक और/या नियमित प्रकार की सेवाएँ या प्रक्रियाएँ पात्र सेवाएं नहीं मानी जातीं। पात्र सेवाओं में शामिल न होने वाली अन्य चिकित्सा सेवाएँ हैं कॉस्मेटिक प्रक्रिया, प्रजनन सेवाएं, वैश्विक और कार्यपालक स्वास्थ्य, व्यवसायगत स्वास्थ्य और रिटेल-जैसी सेवाएं, और ऐसी अन्य सेवाएं जिनके संबंध में पहले ही विशिष्ट वैश्विक/पैकेज मूल्य-निर्धारण व्यवस्था मौजूद है। यह कोई विस्तृत सूची नहीं है और इसमें पी.एच.सी. कभी भी संशोधन कर सकता है।

चिकित्सीय आवश्यकता के बारे में अगर कोई प्रश्न उत्पन्न होगा तो इस बारे में अंतिम निर्धारण कार्यालय का मुख्य चिकित्सा अधिकारी करेगा कि इलाज तुरंत करना है या/और चिकित्सा की दृष्टि से आवश्यक है। पी.एच.सी. इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट एंड एक्टिव लेबर एक्ट (ई.एम.टी.ए.एल.ए.) द्वारा स्थापित सभी मानकों का पालन करेगा।

**संघीय गरीबी स्तर (एफ.पी.एल.)** – प्राधिकार 42 यू.एस.सी. ~9902(2) के अंतर्गत यू.एस. स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग द्वारा फ़ेडरल रजिस्टर में समय-समय पर निर्धारित की गयी पारिवारिक इकाई पर लागू आय सीमा।

**आनुमानिक पात्रता** – वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पी.एच.सी. वित्तीय सहायता की पात्रता निर्धारित करने के लिए, व्यक्ति के अलावा, अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना का इस्तेमाल कर सकता है या पूर्व के पात्रता निर्धारण का प्रयोग कर सकता है।

**गैर-बीमित** – वे मरीज जिनका बीमा नहीं होता या जिनके पास हेल्थकेयर प्रदाताओं के प्रति अपनी वित्तीय देनदारी चुकता करने के लिए अन्य-पक्षीय सहायता का साधन नहीं होता।

## 4 पालिसी

इस पालिसी में दिए गए मानदंड के आधार पर पात्र मरीजों को वित्तीय सहायता देते हुए पी.एच.सी. उन मरीजों की मदद करेगा जो अपने इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते।

### 4.1 वित्तीय सहायता के लिए पात्रता मानदंड

जिन मरीजों का बीमा नहीं होता और जिनकी पारिवारिक इकाई की आय संघीय गरीबी स्तर (एफ.पी.एल.) दिशानिर्देशों के 300% के बराबर या उससे कम होती है, जैसा कि निम्नलिखित सारणी में दिखाया गया है, उन्हें वित्तीय सहायता (100% छूट) दी जा सकती है।

किसी मरीज की पात्रता निर्धारित करते समय पी.एच.सी. नस्ल, लिंग, आयु, यौनिक उन्मुखता, धार्मिक जुड़ाव या प्रवासी स्थिति पर विचार नहीं करता।

**2016 संघीय गरीबी स्तर दिशानिर्देश**

परिवार/पारिवारिक इकाई में लोगों की संख्या	गरीबी संबंधी दिशानिर्देश
1	\$11,770
2	\$15,930
3	\$20,090
4	\$24,250
5	\$28,410
6	\$32,570
7	\$36,730
8	\$40,890

8 से अधिक व्यक्तियों वाले परिवार/पारिवारिक इकाई के मामले में प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 4,160 डॉलर जोड़ दें

पी.एच.सी. जार्जिया राज्य की मेडीएड या सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के लाभ प्राप्त करने के लिए बाहरी वेंडरों का इस्तेमाल करके मरीजों की मदद करेगा। मरीजों या मरीजों के गारंटर्स के लिए यह अनिवार्य है कि वे जार्जिया मेडीएड और/या एस.एस.आई. की आवेदन पत्र प्रक्रिया का अनुपालन करें। जो सहयोग नहीं करेंगे उन्हें पी.एच.सी. वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

वित्तीय सहायता के आवेदन पत्र को पूर्ण करने और प्रस्तुत करने के काम में भी बाहरी वेंडर सहायता कर सकते हैं। जार्जिया मेडीएड और/या एस.एस.आई. के तहत लाभ उपलब्ध होने या न होने का निर्धारण, पी.एच.सी. द्वारा वित्तीय सहायता देने के बारे में अंतिम निर्णय लिए जाने से पहले ही कर लिया जाना चाहिए।

**4.2 वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र देना**

यह पी.एच.सी. की नीति है कि वित्तीय सहायता के आवेदन पत्रों को अपवाद के आधार पर प्रोसेस किया जाए। सभी मरीजों की जाँच जनसांख्यिकीय और क्रेडिट रेकॉर्ड्स की इलेक्ट्रॉनिक जाँच करके की जाएगी ताकि पारिवारिक आय, परिवार के आकार और भुगतान करने के रुझान का निर्धारण किया जा सके। इन

मानदंडों का उपयोग वित्तीय सहायता हेतु मरीज की पात्रता का निर्धारण करने के लिए किया जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉनिक जाँच प्रक्रिया में मरीज का अनुमोदन नहीं हो पाता तो एक कागज पर आवेदन पत्र और समर्थक दस्तावेज अनिवार्यतः प्राप्त किए जाएँ।

कागज पर आवेदन पत्र इस प्रकार प्राप्त किए जाएँ:

1. वेबसाइट पर ऑनलाइन <http://www.piedmont.org/patient-tools/bill-pay>
2. पीडमॉन्ट के सभी अस्पतालों के दाखिला/पंजीकरण क्षेत्र में ऑनसाइट
3. कस्टमर सल्यूशन सेंटर यानी 855-788-1212 पर फ़ोन करके
4. निम्नलिखित पते पर यू.एस.पी.एस. डाक द्वारा आवेदन पत्र की एक प्रतिलिपि भेजने का अनुरोध करके:

ग्राहक समाधान केन्द्र  
पीडमॉन्ट हेल्थकेयर  
2727, पेसेज़ फ़ेरी रोड  
भवन 2, पांचवीं मंज़िल  
एटलांटा, जी.ए. 30339

सभी आवेदकों को आवेदन पत्रों के साथ निम्नलिखित सूचना देते हुए पारिवारिक इकाई की आय का प्रमाण अवश्य देना चाहिए। वित्तीय सहायता के आवेदन पत्र को संपूर्णता से तभी प्रोसेस किया जा सकता है (यानी अंतिम निर्धारण किया जा सकता है) जब आवेदन पत्र और सभी संबंधित दस्तावेज हर दृष्टि से पूर्ण हों और उचित रूप से प्रस्तुत किए गए हों।

वित्तीय सहायता के आवेदन पत्र के लिए कृपया निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल या प्रमाणित प्रतियाँ साथ लाएं:

- फोटो पहचान-पत्र - राज्य द्वारा जारी ड्राइवर लाइसेंस, राज्य का पहचान-पत्र, पासपोर्ट, या दूतावास संबंधी अथवा स्कूल का फोटो पहचान-पत्र।
- वीसा या रेजिडेंस एलियन कार्ड (यदि लागू हो)
- निवास का प्रमाण - निम्नलिखित में से एक से तीन तक, जिसमें मौजूदा सड़क का पता लिखा हो, निवास के प्रमाण के लिए ज़रूरी है:
  - एक से तीन उपयोगी सेवाओं के बिल जैसे बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल

- पट्टे का अनुबंध
- किराए की रसीद जिसमें मौजूदा पता लिखा हो
- फूड स्टैम्प्स लैटर
- वोटर का रजिस्ट्रेशन कार्ड
- अन्य व्यवसायिक दस्तावेज जो निवास के पते को सत्यापित करते हों, जैसे क्रेडिट कार्ड विवरण, आई.आर.एस. मेडीएड पत्र, स्कूल के स्टूडेंट लेटर्स, केबल बिल, सेल फोन के बिल, बैंक स्टेटमेंट्स, बंधक विवरण, चेक के हिस्से, जिनमें आपका पता अंकित हो, आदि।
- नोट: ए.पी.ओ. बॉक्स से निवास के पते की जानकारी नहीं मिलती।
- आय के प्रमाण के लिए निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज:
  - मौजूदा वेतन के तीन चेकों के अधपन्ने (मरीज और साझेदार के)
  - बेरोजगारी का दावा पत्र, श्रम मजदूरी विभाग की पूछताछ संबंधी पत्र (डब्ल्यू.जी.-15)
  - यदि बचत की सहायता से गुजारा हो रहा है तो हाल ही के तीन महीनों के बैंक स्टेटमेंट की प्रतियाँ
  - कंपनी के लेटरहेड पर लिखा हुआ नियोक्ता का पत्र जिसमें शुरू करने की तिथि, मौजूदा सेवायोजन की स्थिति, प्रति घंटे वेतन की दर, प्रत्येक वेतन अवधि में प्रदत्त कुल रकम और भुगतान कब-कब किया जाता है आदि ब्योरे पुष्ट किए गए हों।
  - इस निर्णय संबंधी कोई पत्र जिससे संकेत मिलता हो कि मरीज को बेरोजगारी मुआवजा, मेडीएड, सामाजिक सुरक्षा अयोग्यता, सामान्य सहायता, आदि मिल रही है।
  - फूड स्टैम्प्स लेटर और वेतन के चेक के अधपन्ने
  - बेघर होने का प्रमाण या आश्रयदाता कंपनी के लेटरहेड पर लिखा हुआ पत्र
  - अन्य कोई व्यवसायिक दस्तावेज जिनसे पता चलता हो कि मरीज कैसे जीवन-यापन कर रहा है।
- आश्रितों की संख्या का प्रमाण – निम्नलिखित में से कोई एक प्रमाण चाहिए:
  - पिछले साल की हस्ताक्षरित आयकर विवरणी (नवीनतम)



- कोई ऐसा निर्णायक पत्र जिससे पता चलता हो कि मरीज के ऊपर बच्चे की कानूनी ज़िम्मेदारी है, जैसे न्यायालय के आदेश वाले संरक्षण या अभिरक्षा संबंधी कागजात
- 18 साल या उससे कम उम्र के प्रत्येक बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र

आवेदन पत्र पूर्ण करने के लिए यदि मरीजों के पास आवश्यक जानकारी नहीं है या वे समर्थक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकते या उन्हें पता नहीं है कि दस्तावेज कहाँ से प्राप्त करें तो वे मार्गदर्शन के लिए हमारे वित्तीय परामर्शदाताओं से संपर्क कर सकते हैं। कृपया हमारी वित्तीय सहायता टीम से 855-788-1212 पर फ़ोन करके संपर्क करें।

पात्र सेवाओं के लिए पी.एच.सी. का पहला विवरण प्राप्त होने के 245 दिनों के अन्दर आवेदन पत्र प्राप्त हो जाना चाहिए। उक्त मानदंड का अनुपालन करने में चूक होने पर यह वित्तीय सहायता की अस्वीकृति का आधार बन जाता है। यदि कोई आवेदन पत्र अपूर्ण है और/या अपेक्षित समर्थक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तो सूचना मिलने के तीस (30) कैलेंडर दिनों के अन्दर अपेक्षित सूचना प्रदान कर देनी चाहिए, अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

#### 4.3 वित्तीय सहायता की पात्रता का निर्धारण करना

वित्तीय सहायता की पात्रता का निर्धारण संबंधित व्यक्ति की वित्तीय आवश्यकता के आकलन के आधार पर किया जाएगा। इस प्रक्रिया में आवेदन पत्र देने की प्रक्रिया शामिल है, जिसमें मरीज या मरीज के गारंटर को ऐसे व्यक्तिगत, वित्तीय और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं जो वित्तीय आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए ज़रूरी हैं।

यदि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी गैर-बीमित मरीज या उनसे संबद्ध गारंटर के पास पात्र सेवाओं के बकाया बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त आमदनी या संसाधन नहीं हैं तो वह मरीज या गारंटर वित्तीय सहायता का अनुरोध कर सकता है। वित्तीय सहायता की उपलब्धता इस पालिसी के पात्रता मानदंड पर आधारित होगी।

पी.एच.सी., वित्तीय सहायता के पूर्ण आवेदन पत्र पर अपना निर्णय पूर्ण आवेदन पत्र और सभी समर्थक दस्तावेज प्राप्त होने के तीस (30) कैलेंडर दिनों के अन्दर सूचित कर देगा। यदि आवेदन पत्र को पी.एच.सी. की वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित किया जाता है तो पी.एच.सी. फ़ोन और/या पत्र द्वारा मरीज से संपर्क करेगा और पात्रता की प्रभावी तिथि सूचित करेगा।

जिस व्यक्ति ने वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है उसे किसी अपूर्ण या अनुपलब्ध सूचना की जानकारी दी जाएगी। आवेदक को पाँच (5) कार्यदिवसों के अन्दर एक पत्र भेजा जाएगा जिसमें आवेदन पत्र अपूर्ण होने या ज़रूरी समर्थक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ न होने की जानकारी दी जाएगी।

जिन मरीजों के वित्तीय सहायता के आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जाता है उन्हें यह निर्णय लेने के पाँच (5) कार्यदिवसों के अन्दर अस्वीकृति के कारण सूचित करते हुए एक पत्र भेजा जाएगा। इसके बाद इस निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिए और वित्तीय सहायता का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कोई अतिरिक्त समर्थक दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत करने के लिए मरीज के पास तीस (30) कैलेंडर दिनों का समय होगा।

#### 4.4 वित्तीय सहायता अस्वीकृत होने पर अपील करना

जिन मरीजों की वित्तीय सहायता अस्वीकृत हो जाती है वे निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से उस निर्धारण के विरुद्ध अपील कर सकते हैं।

1. [assistance@piedmont.org](mailto:assistance@piedmont.org) पर ईमेल भेजकर
2. 855-788-1212 पर कस्टमर सोल्युशन सेंटर को फोन करके
3. निम्नलिखित पते पर यू.एस.पी.एस. मेल से पत्र भेजकर:

ग्राहक समाधान केन्द्र  
पीडमॉन्ट हेल्थकेयर  
2727, पेसेज़ फेरी रोड  
भवन 2, पांचवीं मंज़िल  
एटलांटा, जी.ए. 30339

सभी अपीलों पर उनकी प्राप्ति की तिथि से दस (10) कार्यदिवसों के अन्दर विचार किया जाएगा और अगले पाँच (5) कार्यदिवसों के अन्दर आवेदक को फोन करके उसके आवेदन पत्र का अंतिम निर्धारण सूचित कर दिया जाएगा। उससे अगले पाँच (5) कार्यदिवसों के अन्दर आवेदक को पत्र भी भेज दिया जाएगा।

वित्तीय सहायता आवेदन पत्र की प्रक्रिया में मदद करने के लिए या अस्वीकृत आवेदन पत्र के मामले में मदद के लिए वित्तीय परामर्शदाता उपलब्ध हैं। पी.एच.सी. के वित्तीय परामर्शदाता उसके सभी अस्पतालों में उपलब्ध हैं, अथवा मरीज कस्टमर सल्युशन सेंटर को 855-788-1212 पर फोन भी कर सकते हैं।

#### 4.5 आनुमानिक पात्रता

वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तुत किए गए औपचारिक आवेदन पत्र की पात्रता का निर्धारण करने के जिस तरीके का वर्णन ऊपर धारा 4.3 में किया गया है उससे अलग, मरीजों को अन्य पक्षीय जाँच विधि द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण के आधार पर भी पात्र माना जा सकता है ("आनुमानिक पात्रता"), उसके बीमे की स्थिति फिर चाहे कुछ भी हो। आनुमानिक पात्रता के अंतर्गत वित्तीय सहायता का पात्र होने के लिए मरीज

का संघीय गरीबी स्तर 300% से अधिक नहीं होना चाहिए। अन्य पक्षीय जाँच विधि से प्राप्त हुई सूचना मरीज की वित्तीय स्थिति का सत्यापन करने में मददगार होगी और वित्तीय सहायता का निर्धारण करने के लिए उसका उपयोग एकमात्र दस्तावेजी स्रोत के रूप में किया जा सकता है।

जो मरीज आनुमानिक पात्रता के माध्यम से वित्तीय सहायता के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं उन्हें वैयक्तिक खाता आधार पर आधारित सेवाओं के लिए कवर किया जाता है। जो आनुमानिक पात्रता की प्रक्रिया में वित्तीय सहायता के लिए अपात्र हो जाते हैं वे धारा 4.2 में यथावर्णित मानक आवेदन पत्र प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन पत्र दे सकते हैं।

#### 4.6 मरीजों के बिल में डाली गयी रकम

वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित किए गए मरीज के बिल में किसी भी स्थिति में सकल प्रभार नहीं डाले जाते। जिन मरीजों का बीमा नहीं होता उनके मामले में पात्र सेवाओं के लिए सकल प्रभारों पर 100% की छूट लागू की जाती है। सामान्यतः बिल में डाली जाने वाली रकम (ए.जी.बी.) की गणना करने के लिए पी.एच.सी. "पीछे देखो" वाला तरीका अपनाता है। ए.जी.बी. की गणना से संबंधित अतिरिक्त ब्योरे वित्तीय सहायता टीम से [assistance@piedmont.org](mailto:assistance@piedmont.org) पर संपर्क करके प्राप्त किए जा सकते हैं।

#### 4.7 वसूली की प्रथाएँ और नीतियां

जिन आवेदन पत्रों को वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित किया गया है उन्हें ऐसे बकाया खातों से संबंधित वसूली प्रयासों से छूट मिल जाएगी जो आठ (8) महीनों की अनुमोदन समय-सीमा के अंतर्गत आते हैं। वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित किए गए किसी भी खाते को पी.एच.सी. वसूली एजेंसी के पास नहीं भेजेगी या क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट नहीं करेगी। खाते की जो शेषराशि आठ (8) महीनों की अनुमोदन समय-सीमा के दायरे के बाहर है उसके लिए सामान्य वसूली प्रयास लागू होंगे, जैसा कि पी.एच.सी. की बिलिंग और वसूली पालिसी में स्पष्टतः सूचित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया वह पालिसी देखें।

जब तक पी.एच.सी. यह निर्धारित करने के लिए उचित प्रयास नहीं कर लेता कि मरीज इस पालिसी के अंतर्गत वित्तीय सहायता का पात्र है अथवा नहीं, तब तक वह किसी मरीज/गारंटर के वेतन को रोकने, प्राथमिक निवास स्थान का ग्रहणाधिकार प्राप्त करने या अन्य कानूनी कार्रवाई जैसे असाधारण वसूली प्रयास नहीं करेगा।

#### 4.8 मरीजों और समुदाय को वित्तीय सहायता कार्यक्रम की जानकारी देना

पीडमॉन्ट हेल्थकेयर का प्रत्येक केन्द्र पी.एच.सी. वित्तीय सहायता कार्यक्रम की अधिसूचना का प्रचार-प्रसार करेगा। प्रचार-प्रसार के उपायों में अस्पताल में मौजूद और मरीज के वित्त की देखभाल करने वाले कर्मचारी द्वारा आपातकालीन कक्षाओं, दाखिला देने के कक्षाओं, पंजीकरण क्षेत्र में और पी.एच.सी. द्वारा चुने गए अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में इस सूचना का प्रकाशन किया जाना जैसे उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, वित्तीय सहायता कार्यक्रम की जानकारी स्वयं-भुगतान का निर्धारण होने के बाद मरीजों को जारी किए जाने वाले सभी बिलों में भी मौजूद रहती है। दाखिला संबंधी दस्तावेजों के साथ भी हम सरल भाषा में इस कार्यक्रम का सारांश दे देते हैं।

पी.एच.सी. वित्तीय सहायता की संपूर्ण पालिसी Piedmont.org पर प्रकाशित करता है, और ब्रोशर के रूप में पालिसी का संक्षिप्त रूप पंजीकरण और दाखिला वाले क्षेत्रों में, साथ ही समुदाय के अन्दर जहाँ-जहाँ पी.एच.सी. अपनी सेवाएँ देता है वहाँ भी उपलब्ध रहता है।

वित्तीय सहायता पालिसी, वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र और सरल भाषा में इस पालिसी का सारांश अंगरेजी की सीमित प्रवीणता रखने वाली किसी भी ऐसी जनसंख्या की प्राथमिक भाषा में उपलब्ध है जो उस समुदाय की कुल जनसंख्या के दस (10) प्रतिशत से अधिक है जिस समुदाय में पी.एच.सी. सेवाएँ देता है।

#### 4.9 नियामक अपेक्षाएं

इस पालिसी का कार्यान्वयन करते समय पी.एच.सी. ऐसे सभी संघीय, राज्यीय और स्थानीय कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करेगा जो इस पालिसी के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों पर लागू होते हैं।

## 5 प्रवर्तन और अपवाद

इस पालिसी का अनुपालन करने में चूक होने पर कर्मचारियों के मामले में सेवा समाप्ति तक की अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है और अन्य पक्ष के कर्मिकों, छात्रों या स्वयंसेवकों के मामले में संविदा या सेवाएँ समाप्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।

## 6 संदर्भ

ई.एम.टी.ए.एल.ए. पालिसी

बिलिंग और कलेक्शन पालिसी  
वित्तीय सहायता का आवेदन पत्र  
वित्तीय सहायता की वर्कशीट

## 7 परिशिष्ट

### 7.1 परिशिष्ट A:

पीडमॉन्ट हेल्थकेयर के अस्पतालों और पी.एच.सी. द्वारा सेवानियोजित चिकित्सकों द्वारा किए गए इलाज के अलावा अन्य प्रदाताओं द्वारा किया गया आपातकालीन और चिकित्सा की दृष्टि से आवश्यक इलाज भी इस वित्तीय सहायता पालिसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

### 7.2 परिशिष्ट B:

जो क्लिनिक पी.एच.सी. की वित्तीय सहायता नीति में शामिल हैं या उसका सम्मान करते हैं उनकी सूची निम्नलिखित विभाग से संपर्क करके प्राप्त की जा सकती है। यह सूची दो वर्ष में एक बार अपडेट की जाएगी।

ग्राहक समाधान केन्द्र  
पीडमॉन्ट हेल्थकेयर  
2727, पेसेज़ फ़ेरी रोड  
भवन 2, पांचवीं मंज़िल  
एटलांटा, जी.ए. 30339